कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अध्यक्ष, राज्य औद्यानिक मिशन, उ0प्र0 की अध्यक्षता में मिशन कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 03.03.2009 का कार्यवृत्त :–

उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
1. राज्य औद्यानिक मिशन कार्य–परिषद की दिनांक 27–11 –2008 को सम्पन्न हुई दशम बैठक की कार्यवृत्ति के अनुपालन पर अनुमोदन।	राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की दशम बैठक दिनांक 27–11–2008 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रस्तुत है।	दशम् बैठक की कार्यवृत्ति के अनुपालन पर निम्नांकित निर्देशों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया :– 1. औद्यानिक मिशन कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, उपकार को निर्देशित किया गया कि वे कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से इस कार्य को सम्पन्न कराने हेतु एक पखवाड़े में प्रस्ताव उपलब्ध करायें। 2. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के बायोटेक्नॉलॉजी विभाग के द्वारा केले के गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु उत्पादित केला के पुत्तियों को विभाग के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों में उपयोग करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये। 3. जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रमों के व्यापक प्रसार–प्रचार हेतु मण्डल स्तर पर गोष्ठियाँ आयोजित करायी जायें जिसमें कृषकों के अनुभव एवं विशेषज्ञों के द्वारा तकनीकी हस्तांतरण के सम्बन्ध में रणनीति बनाकर अन्य कृषकों के द्वारा इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कराये जाने हेतु अभिप्रेरित किया जा सके। 4. राज्य स्तरीय तकनीकी परामर्शियों की सेवायें सेवा प्रदाता के माध्यम से लिये जाने पर आरक्षण नियमों का ध्यान रखा जाये और भविष्य में विज्ञापन के माध्यम से वांछित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव को निर्धारित करते हुए सुयोग्य परामर्शियों का चयन किया जाये। 5. फलपट्टी क्षेत्र लखनऊ में आम के बागवानों की मलिहाबाद में आयोजित गोष्ठी में संज्ञानित समस्याओं यथा

		विद्युत आपूर्ति, नहर से सिंचाई की सुविधा, गुणवत्ता युक्त रक्षा रसायनों की व्यवस्था आदि के लिए प्रमुख सचिव उद्यान के स्तर पर तत्काल बैठकें आयोजित करा ली जायें। 6. केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ के सहयोग से प्रदेश की विशिष्ट औद्यानिक फसलों की पुस्तिका जिसमें एक तरफ फसल/प्रजाति विशेष का फोटोग्राफ एवं दूसरी ओर उसकी तकनीकी विशिष्टताएं वर्णित हों, प्रकाशित करा ली जाये। इसमें सभी प्रमुख औद्यानिक फसलों को समावेशित करने का प्रयास किया जाये।
2. राज्य औद्यानिक मिशन कार्यक्रमों की प्रगति का प्रस्तुतीकरण।	राज्य औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत चयनित 40 जनपदों की माह फरवरी, 2009 तक की वित्तीय प्रगति का विवरण संलग्न है।	अवलोकित किया गया तथा विगत वर्ष की इस अवधि में अर्जित उपलब्धियों से लगभग 11.57 करोड़ अधिक उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। निम्नांकित विशिष्ट उपलब्धियों पर राज्य औद्यानिक मिशन, मुख्यालय की टीम को शाबासी दी गयी :– 1. 9–12 दिसम्बर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल पोटैटो कॉन्फ्रेन्स में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उ0प्र0 के स्टाल को सर्वश्रेष्ठ स्टाल घोषित किया जाना। 2. गणतंत्र दिवस, 2009 के अवसर पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन की थीम पर आधारित विभागीय झांकी की शासन के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों एवं जन साधारण के द्वारा प्रशंसा की गयी और झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। 3. केन्द्रीय गन्ना शोध संस्थान, लखनऊ में दिनांक 21–24 फरवरी, 2009 को आयोजित 'एग्रोटेक प्रदर्शनी' में मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभाग के स्टाल को प्रथम स्थान प्रदत्त किया गया। इस प्रदर्शनी में कठपुतली के माध्यम से बागवानी मिशन कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया गया। 4. लखनऊ में दिनांक 01–02 मार्च, 2009 को आयोजित 'कृषि एवं औद्यानिक विकास प्रदर्शनी' में राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर आधारित विभागीय स्टाल को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

		5. राजभवन, लखनऊ में दिनांक 14–15 फरवरी, 2009 को आयोजित 'प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी' के अवसर पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत प्रकाशित साहित्य को मा0 उद्यान मंत्री जी द्वारा विमोचित किया गया। 6. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत परियोजना आधारित प्रस्तावों को तैयार कराने के सम्बन्ध में सर्व साधारण के उपयोगार्थ निर्देशिका प्रकाशित करायी गयी, जिसमें मुकम्मिल प्रस्ताव तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समस्त दिशा निर्देशों को समाहित किया गया है। 7. भारत सरकार के विचारार्थ प्रदेश से कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक धनराशि रू. 65.00 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृतार्थ भेजे गये। उक्त के अतिरिक्त निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन उ0प्र0 की वेबसाइट पर वार्षिक कार्ययोजना 2009–10 को अपलोड कराने की कार्यवाही की जाये और प्रयास किया जाये कि उसमें कार्यक्रमों के योजना लाभार्थियों के विवरण भी प्रदर्शित हों।
3. परियोजना आधारित प्रस्तावों के अन्तर्गत मॉडल पौधशाला, लघु पौधशाला, आलू एवं शाकभाजी बीज उत्पादन, सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर, पैक हाउस, टिशू कल्चर प्रयोगशाला के पुनरुद्धार तथा प्लान्ट हेल्थ क्लीनिक की स्थापना सम्बन्धी प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति पर विचार।	राज्य औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत परियोजना आधारित प्रस्तावों यथा–मॉडल पौधशाला की स्थापना, छोटी पौधशाला की स्थापना, आलू एवं शाकभाजी बीज उत्पादन, सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर, पैक हाउस, टिशूकल्चर प्रयोगशाला के पुनरुद्धार तथा प्लान्ट हेल्थ क्लीनिक की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव निम्नांकित विवरण के अनुसार कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। विभिन्न जिला औद्यानिक मिशनों से प्राप्त तथा प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में गठित उप समिति की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 17–02–2009 में विचारित/संस्तुत प्रस्तावों तथा अन्य ऐसे प्रस्तावों, जिनकी स्वीकृति का प्राधिकार भारत सरकार के आदेश संख्या–33–4/2005–हार्टि दिनांक 21–06–2007 के द्वारा कार्य परिषद, राज्य औद्यानकि मिशन को प्रदत्त है, के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावों की विवरणी संलग्न है। ऐसे प्रस्तावों की संख्या निम्नवत् है:–	कार्य परिषद में प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर निम्नानुसार इंगित शर्तों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया :– *(1) लघु पौधशाला (सार्वजनिक क्षेत्र)* के अन्तर्गत संलग्न सूची के क्रमांक 1 से 3 तक कुल 3 छोटी पौधशालाओं की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी :– 1. लघु पौधशाला में पौध उत्पादन, उ0प्र0 पौधशाला अधिनियम 1976 की शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाये। 2. अनुदान की धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा भौतिक एवं गुणवत्ता के सत्यापन के उपरान्त प्रदत्त होगी और पौधशाला पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ढ़ांचागत सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक होगा। 3. स्थापित पौधशालाओं पर रोपित मातृ वृक्ष चयनित

(Rs. in Lakhs)

S.No.	Programme	Area (ha.)	No. of Proposals	Project Amount	Eligible Subsidy
A.	**Plantation Infrastructure & Development**				
1	Small Nursery (Public Sector)	-	3	9.00	9.00
2	Model Nursery (Public Sector)	-	2	36.00	36.00
3	Seed Infrastructure(Public Sector)	-	3	35.45	35.45
4	Plant Health Clinic (Public Sector)	-	1	20.00	20.00
5	Rehabilitation of existing Tissue-Culture Lab	-	1	20.02	8.00
	Total Public Sector	-	-	120.47	108.45
6	Seed Production (Pvt. Sector) (Already Implimented)	1483	1147	1074.30	455.77
7	Small Nursery (Pvt. Sector)	-	34	123.70	51.00
8	Model Nursery (Pvt. Sector)	-	9	168.52	81.00
9	Seed Infrastructure (Pvt. Sector)	-	2	24.00	6.00
B.	**Post Harvest Management & Marketing Infrastructure**				
1	Pack Houses	-	29	86.43	18.13
	Total		**1231**	**1597.42**	**720.35**

आलू एवं मटर के बीज उत्पादन कार्यक्रमों को रबी मौसम में माह अक्टूबर–नवम्बर, 2008 से चयनित योजना लाभार्थियों के खेतों पर फाउण्डेशन बीज के द्वारा क्रियान्वित कराकर बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा प्रमाणीकरण का कार्य कराया जा रहा है और निरीक्षण किये गये हैं। अतएव उक्त कार्यक्रम की कार्योत्तर स्वीकृति निवेदित है।

निजी क्षेत्र के परियोजना आधारित प्रस्तावों में क्रेडिट लिंक्ड बैक इन्डेट सब्सिडी के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की जानी अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में कतिपय लाभार्थियों द्वारा बैंक ऋण स्वीकृति प्रपत्र के स्थान पर किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर परियोजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। अतः प्रजातियों के ही होंगे तथा उनका प्रमाणीकरण का कार्य उद्यान विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2) लघु पौधशाला (निजी क्षेत्र) – क्रमांक 1 से 34 तक कुल 34 छोटी पौधशालाओं की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी:–

1. लघु पौधशाला में पौध उत्पादन, उ0प्र0 पौधशाला अधिनियम 1976 की शर्तों तथा भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाये।
2. अनुदान की धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा भौतिक एवं गुणवत्ता के सत्यापन के उपरान्त प्रदत्त होगी और पौधशाला पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक होगा।
3. स्थापित पौधशालाओं पर रोपित मातृ वृक्ष चयनित प्रजातियों के होंगे तथा उनका प्रमाणीकरण का कार्य उद्यान विभाग द्वारा किया जायेगा।
4. मिशन मानक के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुमन्य धनराशि अधिकतम रू0 1.50 लाख, क्रेडिट लिंक्ड बैक इन्डेड सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में ऋण स्वीकृत होने के उपरान्त हस्तानान्तरित की जाये तथा ऋण धनराशि व्यय होने के उपरान्त सब्सिडी अंश व्यय किया जाये।

(3) मॉडल पौधशाला (सार्वजनिक क्षेत्र) – सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्य उद्यान विशेषज्ञ, खुशरूबाग इलाहाबाद, तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बी0एच0यू0 वाराणसी में एक–एक, कुल दो मॉडल पौधशालाओं की स्थापना के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया और निर्देशित किया गया कि निदेशालय से मॉडल बड़ी पौधशाला की स्थापना के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः